न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०—167/2022—23
छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46(1)b
दिगम्बर महतो बनाम सुरेन्द्र नाथ

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
07/10/23		

विक्रेता का नाम एवं पता :— दिगम्बर महतो पिता—स्व० श्यामु महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बारेडीह, थाना—तमाड़, जिला—राँची।

क्रेता का नाम एवं पताः— सुरेन्द्र नाथ महतो पिता—स्व० महेश महतो, ग्राम—भिठुडीह, टोला—सलगाटोला, पो०—बारेडीह, थाना—तमाड़, जिला—राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम :— श्री गोवर्द्धन महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक—07/02/2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत क्रेता—सुरेन्द्र नाथ महतो पिता—स्व० महेश महतो, ग्राम—भिठुडीह, टोला—सलगाटोला, पो०—बारेडीह, थाना—तमाड़, जिला—राँची जाति—कुरमी(महतो) पेशा—खेतीबारी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः—

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
बारेडीह	तमाड़/216	33	300	42डी०	नीज विक्रेता	शम्भुनाथ महतो वो विनोद महतो वगै०	ओम प्रकाश महतो	रास्ता

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधरण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक—308(ii) दिनांक—21/06/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत हैः—

1. प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत का नाम पाडु साहु वल्द चैतन साहु कौम—तेली दर्ज है।
2. खतियान रैयत/पंजी—II रैयत विक्रेता के साथ संबंध पिता—पुत्र का है।
3. पंजी—II के अनुसार रैयत का नाम सामु महतो, पिता—जयरीक महतो के नाम दर्ज है। तथा रैयत के पास रकबा—1एकड़ 48डी० भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी वर्ष—1974—1975 तक वसूली गई है।
5. जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता—पुत्र का है। तथा खरीदगी रजिस्ट्री डीड के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि रैयती है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता 2एकड़ भूमि शेष रह जायेगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित भूमि को लड़की की शादी हेतु बिक्री कर रहे है।

9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी (महतो) जाति के सदस्य है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवदेन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत विक्रेता–दिगम्बर महतो पिता–स्व० श्यामु महतो, ग्राम–नवाडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी(महतो), पेशा–खेतीबारी को क्रेता–सुरेन्द्र नाथ महतो पिता–स्व० महेश महतो, ग्राम–भिठुडीह, टोला–सलगाटोला, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची जाति–कुरमी(महतो) पेशा–खेतीबारी के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा किया गया है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–07/02/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता–दिगम्बर महतो पिता–स्व० श्यामु महतो, ग्राम–नवाडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी(महतो), पेशा–खेतीबारी को क्रेता–सुरेन्द्र नाथ महतो पिता–स्व० महेश महतो, ग्राम–भिठुडीह, टोला–सलगाटोला, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला– राँची जाति–कुरमी(महतो) पेशा–खेतीबारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत दी जाती है। अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
बारेडीह	तमाड़/216	33	300	42डी०	नीज विक्रेता	शम्भुनाथ महतो वो विनोद महतो वगै०	ओम प्रकाश महतो	रास्ता

लेखपित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.01.08 13:59:22 +05:30
Location: 10.93.79.9